(217)

5 रु कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES निरोपित / विलोपित

(324)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

Rs 30/-

20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES निरोपित / विलोपित

III/ निग0/ सीमा/ भू-रा0/ 2017/ 2393

1- गोविन्द कोरी

2- राजेन्द्र कोरी दोनो के पिता स्व0 रामदुलारे कोरी निवासी रामनई, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0

----निगरानीकर्तागण

बनाम्

1- जमुना प्रसाद पटेल तनय ठाकुरदीन पटेल

2- गंगा प्रसाद पटेल तनय ठाकुरदीन पटेल

3- राजकुमार पटेल तनय जमुना पटेल

4- अशोक कुमार पटेल तनय जमुना पटेल

5- रामप्रसाद पटेल तनय रामफल पटेल

6- कैलाश प्रसाद पटेल तनय रामफल पटेल

सभी निवासी रामनई, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0

------ गैरनिगरानीकर्तागण

अधि0 श्री बद्रीनाथ सिंह द्वारा पेश 27-7-17

सीमांकन के विरुद्ध निगरानी प्रकरण कमांक 91/अ12/16-17 आदेश दिनांक 07-07-17 न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा म0प्र0 के विरुद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा सीमांकन के बने नियमों के विपरीत आदेश होने से उक्त आज्ञा निरस्त योग्य श्रीमान।

राजेन्द्र कोरी

27/7/17

नि0 अं0 गोविन्द कोरी

(217)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू–रा0/2018/2393 जिला–रीवा

गोविन्द कोरी/जमुना प्रसाद पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजभान सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चुलियान के प्रकरण क्रमांक 91/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम. शर्मा), सदस्य	